



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218729
CG-DL-E-17032020-218729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941

No. 157]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 183(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 230 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2019 के अतिक्रमण में, ऐसे अतिक्रमण से पहले की गयी या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- 1) माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. एन. पटेल, चीफ जस्टिस, अध्यक्ष
 - 2) माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. आर. मिठा, सदस्य
 - 3) माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर, सदस्य
2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी. डी-13004/01/2019-कोफेपोसा]

नरेश कुमार, उप सचिव

पाद टिपणी: दिनांक 20 मार्च, 2019 की अधिसूचना सा.का.नि. 230(अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 20 मार्च, 2019 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 230 (E) dated 20th March, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :-

- (i) Hon'ble Mr. Justice D. N. Patel, Chief Justice, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice J. R. Midha, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice C. Hari Shankar, Member

2. This notification shall come into force with effect from 23rd March, 2020.

[F. No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

NARESH KUMAR, Dy. Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. No. 230 (E) dated 20th March, 2019 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) on the 20th March, 2019.